न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0–2, लखनऊ।

सत्र विचारण वाद सं0:0000316/2016

राज्य प्रति कल्लू उर्फ मो. शकील

मु.अ.सं: 35/2015
धारा:307 भा0दं0सं0
व धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम
थाना:नगराम, लखनऊ ।

<u>आरोप</u>

मैं,उमाशंकर शर्मा,अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0–2, लखनऊ एतद् द्वारा आप–कल्लू उर्फ मो0 शकील को निम्नलिखित आरोप से आरोपित करता हूँ–

<u>प्रथम</u> :यह कि आप कल्लू उर्फ मो0 शकील ने दिनांक 04/04/2015 को मय करीब 12.45 बजे दिन स्थान ग्राम कटोरा थाना क्षेत्र नगराम जिला लखनऊ मे वादी मुकदमा ताजमोहम्मद को जान से मारने की नियत से उस पर हथगोला से वार किया जो उसकी दुकान की शटर मे लगा और जोर की आवाज के साथ फट गया जिससे वादी मुकदमा की मृत्यु भी संभाव्य थी और इसप्रकार से उसके द्वारा आप ने एक ऐसा अपराध कारित किया जोकि भा0दं0सं0 की धारा 307 के अधीन दंडनीय अपराध है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान मे है।

<u>द्वितीय</u> :यह कि आप कल्लू उर्फ मो0 शकील ने दिनांक 04/04/2015 को मय करीब 12.45 बजे दिन स्थान ग्राम कटोरा थाना क्षेत्र नगराम जिला लखनऊ मे वादी मुकदमा ताजमोहम्मद को जान से मारने की नियत से उस पर हथगोला से वार किया जो उसकी दुकान की शटर मे लगा और जोर की आवाज के साथ फट गया और जब आप मौके से भागे को जनता के लोगो ने आपको दौड़ाकर पकड़ लिया गया और आपके कब्जे से एक अन्य जीवित हथगोला बरामद किया गया। इसप्रकार से उसके द्वारा आप ने एक ऐसा अपराध कारित किया जो विस्फोटक पदार्थ अधि0 की धारा 3/5 के अधीन दंडनीय अपराध है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान मे है।

एवं एतद्द्वारा आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त आरोपों में आपका विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जाये।

(उमाशंकर शर्मा)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
दिनांक:23/06/2016 कोर्ट सं0.2, लखनऊ।

आरोप पढ़कर अभियुक्त को सुनाया व समझाया गया। अभियुक्त ने आरोप से इन्कार किया तथा परीक्षण की मांग की।

(उमाशंकर शर्मा)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
दिनांक:23/06/2016 कोर्ट सं0.2, लखनऊ।
अ0ज0
23.06.16

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,कोर्ट नं0–2,लखनऊ।

सत्र विचारण वाद सं0.0000316/2016

सरकार बनाम कल्लू उर्फ मो0 शकील

मु.अ.सं.–35/2015
अं.धारा–307 भा0दं0सं0 व धारा 3/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम
थाना –नगराम, लखनऊ ।

वाद पुकारा गया । अभियुक्त उपस्थित हैं । पत्रावली आज अभियुक्त के विरूद्ध आरोप विरचित किये जाने हेतु नियत है ।

आरोप विरचित किये जाने के बिन्दु पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान सहा.जि.शा.अधि. (फौ.) को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया ।

विद्वान सहा.जि.शा.अधि. (फौ.) ने अभियोजन मामले को वर्णित करते हुए कथन किया है कि पत्रावली पर उपलब्ध केस डायरी एवं समस्त अभिलेखीय साक्ष्य के अवलोकन से अभियुक्त के विरूद्ध प्रथम दृष्ट्या धारा– 307 भा.दं.वि. एवं धारा– 3/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम का मामला निर्मित होता है। अतः अभियुक्त के विरूद्ध उक्त धाराओं के अंतर्गत आरोप विरचित किया जाए ।

उभय पक्ष के तर्क सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त अभिलेखीय साक्ष्य के अवलोकन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि प्रस्तुत मामले में अभियुक्त पर धारा– 307 भा0दं0सं0 व धारा 3/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत आरोप विरचित किये जाने हेतु प्रथम दृष्ट्या पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है ।

अतः अभियुक्त के विरूद्ध उक्त धाराओं के अंतर्गत आरोप विरचित किया गया । अभियुक्त ने आरोप से इन्कार किया तथा परीक्षण की मांग की ।

पत्रावली वास्ते अभियोजन साक्ष्य हेतु दिनांक 22/07/2016 को पेश हो । साक्षीगण को तलब किया जाए ।

(उमाशंकर शर्मा)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट सं0.2, लखनऊ।

अ0ज0
23.06.16